प्रश्न सं. [क्र. 1480]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1480 का परिशिष्ट - 'अ'

क्र.	प्रकरण दिनांक	विषय	प्रकरण किस प्रकार ज्ञात है।	प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही
1	22/05/2010	विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ की शा.उ.मू. दुकान पर राशन कार्ड से अधिक सामग्री की जांच खाद्य एवं सहकारिता विभाग के जांच दल से करायी गई। जांच दल के प्रतिवेदन दिनांक 22/05/2010 अनुसार 01/04/2007 से 31/03/2009 तक की अवधि में प्रचलित राशन कार्डो से अधिक सामग्री का आवंटन किये जाने से राशि रूपये- 1,94,97,772.96/- में से 67749.83/- लीड प्रबंधकों से एवं रूपये 1,23,47,251/- समिति प्रबंधकों से एवं राशि रूपये 7,08,2772.13/- विक्रेताओं से वसूली की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण सहायक आयुक्त सहकारिता कटनी को प्रेषित किया गया है।	कलेक्टर कटनी के माध्यम से	लीड प्रबंधक,समिति प्रबंधक एवं विक्रेताओं से अभी तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है। 8 समिति प्रबंधकों एवं 14 विक्रेताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वसूली में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। जिसमें से 2 विक्रेताओं के प्रकरणों में वसूली आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार विजयराघवगढ, बडवारा एवं बरही के द्वारा संबंधितों से राशि वसूली हेतु RRC जारी की गई है।
2	24/04/2010 11/12/2015 संशोधित दिनांक 07/12/2019	जनपद पंचायत बहोरीबंद में शा.उ.मू. दुकान पर राशन कार्ड से अधिक सामग्री की जांच अपर कलेक्टर कटनी द्वारा की गई थी। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 24/04/2014 में प्रकरण की विस्तृत जांच जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर से कराये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक के प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 एवं संशोधित प्रतिवेदन दिनांक 07/12/2019 अनुसार राशि रूपये 39,73,154.02 मूल्य की सामग्री का अपयोजन पाया गया है। जांच के संबंध में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारिता जबलपुर की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा भी जांच की गई है जिसका प्रतिवेदन दिनांक 19/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है।	कलेक्टर कटनी एवं संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण भोपाल के माध्यम से ज्ञात है।	तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक के प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 एवं संशोधित प्रतिवेदन 07/12/2019 तथा तत्कालीन संयुक्त आयुक्त सहकारिता के जांच प्रतिवेदन दिनांक 19/11/2019 का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय